

कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई-चरौदा, जिला - दुर्ग (छ.ग.)

क्र. / 595 / न.पा.नि. / 2025-26

भिलाई-चरौदा, दिनांक :- 25.07.2025

// रुचि की अभिव्यक्ति (E.O.I.) //

भारत सरकार आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली के अमृत मित्र योजना अन्तर्गत "Women for Tree" अभियान में AMRUT 2.0 मिशन के दिशा-निर्देशों के अनुरूप, वृक्षारोपण, रख-रखाव, जागरूकता एवं पर्यावरणीय अभियान से संबंधित कार्यों हेतु DAY-NULM मिशन अन्तर्गत पंजीकृत इच्छुक महिला स्व-सहायता समूहों (SHG's) से नगर पालिक निगम, भिलाई-चरौदा क्षेत्र में उक्त कार्य के संचालन हेतु रुचि की अभिव्यक्ति (Expression of Interest) दिनांक - 01-08-2025 को सायं - 5:30 बजे तक स्पीड/पंजीकृत डाक से आमंत्रित की जाती है।

आमंत्रित रुचि की अभिव्यक्ति (E.O.I.) में निम्नानुसार कार्य सम्मिलित हैं:-

- चयनित स्थानों पर वृक्षारोपण
- पौधों की देख-रेख, सिंचाई एवं संघारणीय निगरानी
- पौधों की जियो टैगिंग और नियमित प्रगति रिपोर्ट
- वृक्षारोपण एवं पर्यावरणीय संरक्षण हेतु सामुदायिक सहभागिता

कार्य का विस्तृत विवरण, नियम एवं शर्तें अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। आमंत्रित रुचि की अभिव्यक्ति में मांग लेने हेतु आवेदन पत्र निर्धारित शुल्क राशि रु. 100.00 नगर पालिक निगम, भिलाई-चरौदा के कोष में जमा कर प्राप्त कर सकते हैं। रुचि की अभिव्यक्ति (E.O.I.) नगर पालिक निगम, भिलाई-चरौदा, जिला - दुर्ग (छ.ग.) की अधिकारिक website - www.nagarnigambhilaicharoda.com पर उपलब्ध है। रुचि की अभिव्यक्ति (E.O.I.) के पोर्टल पर अपलोड होने की तिथि से 07 (सात) दिवस (01-08-2025 तक) के भीतर इसे जमा किया जाना अनिवार्य है।

उक्त संबंध में भविष्य में जारी निर्देश एवं संशोधन भी केवल वेबसाइट पर ही प्रकाशित किए जाएंगे, इच्छुक समूह वेबसाइट का नियमित अवलोकन करते रहें।

आयुक्त

नगर पालिक निगम,
भिलाई चरौदा

2 Col. x 08 c.m.

आयुक्त
नगर पालिक निगम,
भिलाई चरौदा

कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई-चरौदा,
जिला – दुर्ग(छ.ग.)

रुचि की अभिव्यक्ति (E.O.I.)

**Project Code :-
AMT-CG-BHILAI_CHARODA-5506**

AMRUT Mitra

“Women for Tree”

अंतर्गत

समूह चयन बाबत् प्रस्ताव

**आयुक्त
नगर पालिक निगम
भिलाई-चरौदा**

प्रस्तावना :-

"Women for Tree" पहल AMRUT 2.0 मिशन के अंतर्गत शहरी क्षेत्रों में हरियाली बढ़ाने, पर्यावरण को सुरक्षित रखने महिला भागीदारी को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्रारंभ की गई है। यह भारत सरकार की "एक पेड़ माँ के नाम" मुहिम से प्रेरित है।

इस पहल के तहत महिला स्व-सहायता समूह (SHG's) को पौधारोपण, देखभाल, संरक्षण, जियो टैगिंग और जागरूकता जैसे कार्यों में जोड़ा जाएगा। यह न केवल पर्यावरण संरक्षण में मदद करेगा, अपितु SHG's को स्थानीय स्तर पर आजीविका और सशक्तिकरण के अवसर भी प्रदान करेगा।

यह कार्यक्रम जलवायु अनुकूल विकास को बढ़ावा देने के साथ-साथ सतत विकास लक्ष्यों (SDG 11, 13 एवं 15) की प्राप्ति की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम है।

परियोजना के मुख्य उद्देश्य और दृष्टिकोण

- महिला स्व-सहायता समूहों (SHG's) को वृक्षारोपण योजना, स्थल चयन और निगरानी की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल किया जाएगा, जिससे उनके भीतर उत्तरदायित्व और स्वामित्व की भावना विकसित हो।
- SHG's को पौधारोपण, देखभाल, संरक्षण एवं संधारण की व्यावहारिक जानकारी हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से सशक्त किया जाएगा।
- वृक्षों के महत्व और पर्यावरण संरक्षण के विषय में समुदाय स्तर पर जागरूकता सत्र, शिविर और संवाद गतिविधियाँ आयोजित की जाएंगी।
- वृक्षों की वृद्धि, जीवित रहने की दर, जियो टैगिंग और नियमित प्रगति रिपोर्टिंग हेतु निगरानी प्रणाली विकसित की जाएगी।
- वृक्षारोपण के लिए स्थानीय रूप से उपयुक्त पेड़-पौधों का चयन किया जाएगा, ताकि जैव विविधता को बढ़ावा मिले और पर्यावरणीय संतुलन बना रहे।

परिभाषाएँ :-

| | | |
|--------------------|---|---|
| आयुक्त | - | नगर पालिक निगम, भिलाई-चरौदा के आयुक्त |
| सक्षम प्राधिकारी | - | स्थानीय आयुक्त / कलेक्टर जिला - दुर्ग |
| इच्छुक आवेदक | - | कार्य में भागीदारी हेतु पंजीकृत महिला स्व-सहायता समूह |
| AMRUT | - | Atal Mission For Rejuvenation and Urban Transformation |
| रुचि की अभिव्यक्ति | - | AMRUT Mitra अंतर्गत चयनित स्व सहायता समूह जो वृक्षारोपण, संरक्षण, जियो टैगिंग एवं पर्यावरणीय जागरूकता हेतु कार्य करेगा। |
| प्रस्ताव | - | रुचि की अभिव्यक्ति के अनुरूप इच्छुक समूह द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज |
| निकाय | - | नगर पालिक निगम, भिलाई-चरौदा, जिला - दुर्ग |

सामान्य शर्तें :—

1. कार्य हेतु इच्छुक "स्व-सहायता समूह" इस दस्तावेज के दिशा-निर्देशों के अनुरूप निर्धारित समयावधि में कार्य निष्पादन हेतु अपना प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं।
2. कार्य हेतु प्रस्ताव "Women for Tree" योजना के अंतर्गत वृक्षारोपण एवं संरक्षण कार्यों के लिए महिला "स्व-सहायता समूहों" द्वारा किया जाएगा।
3. प्रत्येक SHG को न्यूनतम 100 पौधों का रोपण कर परियोजना की संपूर्ण अवधि तक उनका संरक्षण व संधारण करना अनिवार्य होगा।
4. वृक्षारोपण एवं निगरानी कार्य हेतु आवश्यक उपकरण एवं सामग्री जैसे फावड़ा, उपस्थिति पंजिका (Attendance Register) आदि निकाय द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी।
5. किसी भी स्थिति में कार्यावधि के दौरान SHG के सदस्यों में परिवर्तन नहीं किया जाएगा। यदि किसी परिस्थिति में परिवर्तन की आवश्यकता हो, तो पहले निकाय के अधिकारी को सूचित करना अनिवार्य होगा, तत्पश्चात निकाय द्वारा निर्णय लिया जाएगा।
6. SHG के बैंक खाते में भुगतान SNA Sparsh के माध्यम से किया जाएगा। प्राप्त राशि का आंतरिक वितरण समूह प्रमुख की जिम्मेदारी होगी।
7. प्रत्येक SHG को कार्य हेतु मानदेय के रूप में राशि ₹ 8,000.00 प्रति माह भुगतान किया जाएगा।
8. प्रत्येक जियो-टैग किए गए पौधे हेतु SHG को ₹ 10.00 प्रति पौधा प्रतिमाह प्रोत्साहन राशि (Incentive) प्रदान की जाएगी, जिसकी जानकारी भारत सरकार के पोर्टल, NIC के मेरी लाइफ पोर्टल एवं अन्य संबंधित पोर्टल में अपलोड करना अनिवार्य होगा।
9. एक SHG अधिकतम दो कार्य क्षेत्रों के लिए आवेदन कर सकती है, किन्तु प्रत्येक स्थल हेतु पृथक-पृथक मूल्यांकन किया जाएगा।
10. यदि किसी एक स्थल के लिए एक से अधिक SHG पात्र पाई जाती हैं, तो उस स्थल के लिए कार्य आबंटन लॉटरी प्रणाली के माध्यम से किया जाएगा।
11. पौधे आवश्यकतानुसार निकाय द्वारा SHG's को प्रदान किए जाएंगे।
12. SHG का कार्य समय प्रातः 9:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक रहेगा, जिसमें वृक्षारोपण एवं संरक्षण कार्य संपन्न किया जाना अनिवार्य है।
13. सभी SHG सदस्यों को निर्धारित ड्रेस कोड में कार्य स्थल पर उपस्थित होना अनिवार्य है: नीली साड़ी, सूट अथवा शर्ट के साथ AMRUT मित्र जैकेट/वेस्ट। यदि कोई सदस्य ड्रेस कोड का उल्लंघन करता है, तो संबंधित SHG पर ₹ 50.00 प्रतिदिन का जुर्माना लगाया जाएगा।
14. SHG की प्रमुख सदस्य की यह जिम्मेदारी होगी कि वे प्रत्येक माह की 05 तारीख तक पूर्व माह का देयक निकाय को प्रस्तुत करें।
15. प्रत्येक प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु पूर्व निर्धारित कार्य की जानकारी एवं तत्संबंधित निकाय की अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
16. कार्य हेतु "रुचि की अभिव्यक्ति (E.O.I.)" का प्रारूप नगर पालिक निगम, भिलाई-चरौदा की website – www.nagarnigambhilaicharoda.com से प्राप्त किया जा सकता है अथवा आयुक्त, नगर पालिक निगम, भिलाई-चरौदा के कार्यालय से प्रत्येक परियोजना के लिए ₹ 100.00 शुल्क का भुगतान कर कर प्राप्त किया जा सकता है।
17. निर्धारित प्रारूप में आवेदन प्रस्तुत करने हेतु इच्छुक महिला स्व-सहायता समूह (SHG's) "E.O.I." के प्रारूप अनुसार आवेदन प्रस्तुत करें। एक समूह द्वारा एक से अधिक स्थलों हेतु आवेदन किया जा सकता है, किन्तु एक स्थल पर एक ही समूह चयनित किया जाएगा।
18. आवेदन पत्र "रुचि की अभिव्यक्ति (E.O.I.)" निर्धारित तिथि तक कार्यालय में जमा किया जाना अनिवार्य है। अंतिम तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
19. आवेदन पत्र के साथ समूह का पंजीयन प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, बैंक खाता विवरण, समूह की हालिया बैठक की कार्यवाही प्रस्तुत करनी होगी। साथ ही समूह के दो सदस्यों की डिजिटल साक्षरता (जैसे स्मार्टफोन का उपयोग करने की क्षमता) का ज्ञान होना आवश्यक है।

20. समूहों का चयन प्राप्त प्रस्तावों के तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर किया जाएगा।
21. नगर पालिक निगम, भिलाई-चरौदा द्वारा चयन के उपरान्त संबंधित SHG से अनुबंध किया जाएगा एवं कार्यान्वयन की निगरानी की जाएगी। अनुबंध की अवधि न्यूनतम 12 माह की होगी।
22. वृक्षारोपण कार्य निर्धारित 30 कार्य दिवसों के भीतर पूरा करना होगा, और लगाए गए सभी पौधों को जीवित रखना अनिवार्य है। यदि कोई पौधे की क्षति हो जाती है, तो उसकी जगह दोगुनी ऊंचाई का नया पौधा लगाना होगा; अन्यथा, संबंधित SHG की भुगतान राशि से कटौती की जाएगी।
23. पौधों को प्रमाणित नर्सरी या सरकारी विभाग से संबंधित निकाय द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। स्थानीय और जलवायु के अनुकूल (climate-resilient) प्रजातियों को प्राथमिकता दी जाएगी, और पौधों की ऊंचाई अंततः 4-5 फीट होगी।
24. समूह द्वारा प्रस्तुत वृक्षारोपण कार्य की जियो-टैगिंग एवं वृक्षों की संधारण रिपोर्ट समय-समय पर निगम को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
25. निर्धारित समयावधि के भीतर प्राप्त प्रस्तावों पर विचार कर निर्णय लिया जाएगा एवं यह निर्णय अंतिम व बाध्यकारी होगा।
26. **तिथियों का अनुसूची :-**
 - a. रुचि की अभिव्यक्ति (E.O.I.) जारी किए जाने की तिथि: 25-07-2025
 - b. मीटिंग दिनांक : 28-07-2025 स्थल – निगम सभागार, 11:00 बजे
 - c. विस्तृत जानकारी हेतु संपर्क ईमेल: cmobhilaicharoda@gmail.com
 - d. रुचि की अभिव्यक्ति (E.O.I.) दस्तावेज कार्यालय से प्राप्त करने की अंतिम तिथि: 31-07-2025
 - e. "E.O.I." प्रस्ताव कार्यालय में जमा करने की अंतिम तिथि: 01-08-2025
 - f. प्रस्ताव खोलने की तिथि: 04-08-2025, समय पूर्वाह्न 11:30 बजे,
स्थल: सभागार कक्ष, नगर पालिक निगम, भिलाई-चरौदा, जिला – दुर्ग (छ.ग.)
26. कार्य हेतु "रुचि की अभिव्यक्ति (E.O.I.)" एवं "प्रस्ताव" निर्धारित प्रारूप में आयुक्त, नगर पालिक निगम, भिलाई-चरौदा, को दिनांक – 01-08-2025 सायं - 05:30 बजे तक बंद लिफाफे में व्यक्तिगत रूप से अथवा पंजीकृत डाक के माध्यम से प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है। लिफाफे के ऊपर स्पष्ट रूप से उल्लेख करें: "Women for Tree पहल अंतर्गत AMRUT Mitra द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव" टिप्पणी:
 - (अ) प्रस्ताव संपूर्ण-स्वरूप में प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है, जिसमें SHG की प्रोफाइल जानकारी अवश्य संलग्न करें।
 - (ब) प्रस्ताव का एक डिजिटल संस्करण (PDF) भी पेन ड्राइव/सीडी/डीवीडी में संलग्न कर प्रस्तुत करें।
27. चयनित समूह द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों का मूल्यांकन स्थल निरीक्षण, प्रस्ताव की व्यावहारिकता, अनुभव एवं दक्षता के आधार पर तकनीकी समिति द्वारा किया जाएगा। अंतिम निर्णय नगर पालिक निगम, भिलाई-चरौदा, के सक्षम अधिकारी द्वारा लिया जाएगा।
28. चयनित समूह की सूची दिनांक – 06-08-2025 को प्रातः 11:30 बजे कार्यालय नगर पालिक निगम, भिलाई-चरौदा, के सूचना पटल, एवं कार्यालय के कक्ष क्र. 13 में प्रदर्शित की जाएगी। इस सूची में चयनित समूह को ही अनुबंध हेतु आमंत्रित किया जाएगा।
29. किसी भी स्थिति में नगर पालिक निगम, भिलाई-चरौदा, को प्राप्त प्रस्तावों को अस्वीकार करने या संशोधित करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित है।
30. कार्य निष्पादन में देरी, अनुबंध उल्लंघन, या गुणवत्ता में कमी की स्थिति में नगर पालिक निगम, भिलाई-चरौदा, द्वारा अनुबंध निरस्त किया जा सकता है।
31. कार्य के संबंध में सक्षम अधिकारी द्वारा अथवा "Women for Tree" योजनान्तर्गत प्रस्तावित समूह के मध्य किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में इसका निपटारा आर्बिटर जो कि कलेक्टर जिला – दुर्ग होंगे के द्वारा किया जाएगा। आर्बिटर के द्वारा दिया गया आदेश दोनों पक्षों हेतु समान रूप से बाध्यकारी रहेगा।

32. E.O.I. में भाग लेने हेतु आवश्यक दस्तावेज:

- डिमांड ड्राफ्ट
- शपथ पत्र (प्रपत्र-01 अनुसार)
- स्व सहायता समूह के विवरण (प्रपत्र-02 अनुसार)
- स्व सहायता समूह के द्वारा अद्यतन कृत कार्यों का विवरण (प्रपत्र-03 अनुसार)
- स्व सहायता समूह के पदाधिकारियों का विवरण (प्रपत्र-04 अनुसार)
- आवेदन पत्र के साथ समूह का पंजीयन प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, बैंक खाता विवरण, समूह की हालिया बैठक की कार्यवाही विवरण प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

33. कार्य हेतु नियुक्त समूह की चयन प्रक्रिया:

- इसमें भाग लेने हेतु इच्छुक आवेदनों को गुण-दोष के आधार पर निकाली गई सूची के अनुसार चुना जाएगा।
 - भारत सरकार आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय एवं संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन इस चयन प्रक्रिया में किया जाएगा।
34. कार्य हेतु नियुक्त समूहों को कार्य आदेश निर्गत किए जाने से पहले स्थल का भौतिक परीक्षण आवश्यक होगा। समूह को लिखित सहमति देनी होगी कि वे दिये गए स्थल पर समय-सीमा में कार्य करने को तैयार हैं। यदि समूह कार्य करने से इनकार करता है, तो वैकल्पिक समूह को अवसर दिया जाएगा।
35. चयनित समूहों द्वारा पेड़ की देख-रेख और मासिक प्रतिवेदन आगामी माह के प्रथम सप्ताह में संलग्न प्रपत्र में कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई-चरौदा को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
36. कार्यदिश प्राप्त होने की तिथि : चयनित समूहों को कार्यदिश पृथक रूप से कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई-चरौदा से जारी किए जाएंगे।
37. परीक्षण/निरीक्षण उपरान्त यदि सूचना पाई गई कि समूह स्वीकृत निर्देशों के विरुद्ध कार्य कर रहा है या गुणवत्ता मानकों की अनदेखी कर रहा है, तो नगर पालिक निगम, भिलाई-चरौदा द्वारा उसका पंजीयन एवं आदेश निरस्त किया जा सकेगा।
38. यदि कार्य में समूह या संबंधित अधिकारियों द्वारा समय-समय पर आवश्यक सूचनाएं प्रस्तुत नहीं की जातीं, तो ऐसे समूहों को भविष्य में कार्य हेतु अनुपयुक्त घोषित किया जा सकता है।
39. **Women for Tree पहल** के संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी हेतु कार्यालय से अथवा cmobhilaicharoda@gmail.com पर संपर्क किया जा सकता है।
40. आवेदन की अंतिम तिथि – 01-08-2025 दोपहर 05:30 बजे तक तक है।
41. चयनित समूहों को कार्य की प्राथमिक जानकारी संचालन एवं कार्यान्वयन हेतु विभाग द्वारा समय-समय पर प्रशिक्षण आयोजित किया जावेगा।
42. Women for Tree योजना हेतु निकाय, DAY-NULM इकाई, वन विभाग, और संबंधित कार्यालयों की संयुक्त कार्यशाला आयोजित की जा सकती है।
43. चयनित समूह को समर्पित कार्य हेतु सक्रिय होना अनिवार्य है।
44. चयनित समूहों द्वारा कार्यान्वयन की गुणवत्ता और रोपण/संरक्षण की स्थिति की आधार पर भविष्य में उन्हें स्वच्छता दीर्घिका एवं मिशन सम्मान में विशेष आमंत्रण या प्रोत्साहन दिया जा सकता है।

आयुक्त
नगर पालिक निगम
भिलाई-चरौदा

// प्रस्ताव प्रस्तुतीकरण //

प्रति,

आयुक्त,
नगर पालिक निगम, भिलाई-चरौदा
जिला – दुर्ग (छ.ग.)

विषय :- रूचि की अभिव्यक्ति (E.O.I.) Amrut Mitra योजना अंतर्गत समूह चयन बाबत् प्रस्ताव।

संदर्भ :- आपके कार्यालय के रूचि की अभिव्यक्ति (E.O.I.) क्रं. 595 दिनांक – 25/07/2025

महोदय,

उपरोक्त विषयांकित कार्य हेतु संदर्भित ज्ञापन के अनुक्रम में जारी “रूचि की अभिव्यक्ति” (E.O.I.) का प्रस्ताव नगर पालिक निगम, भिलाई-चरौदा, जिला – दुर्ग (छ.ग.) क्षेत्र में “Amrut Mitra” योजनान्तर्गत समूह चयन बाबत् जारी दिशा-निर्देशों का भलीभांति अवलोकन, अध्ययन किये जाने के उपरान्त तैयार कर प्रस्तुत किया जा रहा है।

संलग्न :-

1 दस्तावेज शुल्क :-

डिमांड ड्राफ्ट क्रं. दिनांक.....

बैंक का नाम.....

राशि रूपये

2 आवेदक का पंजीयन नियमावली एवं अन्य वांछित जानकारी ।

3 समूह के प्रमुख के बैंक खाता संख्या की जानकारी पासबुक की प्रति संलग्न कर प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

भवदीय
आवेदक का नाम पद मुद्रा
एवं हस्ताक्षर

// स्व सहायता समूह का विवरण //

| | | |
|-----|--|--|
| 1 | आवेदक का नाम : | |
| 2 | परियोजना कोड : AMT-CG-BHILAI_CHARODA-5506 | |
| 3 | स्थान : | |
| 4 | वैधानिक पता | |
| 5 | दूरभाष क्रं. | |
| 6 | फैक्स/ईमेल | |
| 7 | पंजीयन का क्रमांक एवं दिनांक | |
| 8 | प्रस्तावित कार्यो हेतु संपर्क सूत्र /व्यक्ति का विवरण | |
| i | नाम | |
| ii | पदनाम | |
| iii | पता | |
| iv | दूरभाष क्रमांक | |
| v | फैक्स/ईमेल | |
| 9 | प्रस्तुत प्रस्ताव के प्रस्तुतकर्ता/हस्ताक्षरकर्ता का विवरण | |
| i | नाम | |
| ii | पदनाम | |
| iii | पता | |
| iv | दूरभाष क्रमांक | |
| v | फैक्स/ईमेल | |

भवदीय
आवेदक का नाम पद मुद्रा
एवं हस्ताक्षर

// स्व सहायता समूह के द्वारा अद्यतन कृत कार्यों का विवरण //

| क्र. | कार्य का विवरण | वर्ष | वर्तमान स्थिति | टिप्पणी |
|------|----------------|------|----------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

टीप – कृपया उपरोक्त कार्यों के संदर्भ में शासकीय/अशासकीय आदेश/पत्राचार की सत्यप्रतिलिपि संलग्न करें।

भवदीय
आवेदक का नाम पद मुद्रा
एवं हस्ताक्षर

// स्व सहायता समूह के पदाधिकारियों का विवरण //

| क्र. | नाम | पदनाम | पता एवं मोबाइल न. | टिप्पणी |
|------|-----|-------|-------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

टीप – पंजीयन उपरान्त जोड़े गये /विलोपित किये गये पदाधिकारियों का उल्लेख टिप्पणी के कॉलम में करें ।

भवदीय
आवेदक का नाम पद मुद्रा
एवं हस्ताक्षर

कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई-चरौदा,
जिला – दुर्ग(छ.ग.)

रुचि की अभिव्यक्ति (E.O.I.)

**Project Code :-
AMT-CG-BHILAI_CHARODA-5548**

AMRUT Mitra

“Women for Tree”

अंतर्गत

समूह चयन बाबत् प्रस्ताव

**आयुक्त
नगर पालिक निगम
भिलाई-चरौदा**

प्रस्तावना :-

"Women for Tree" पहल AMRUT 2.0 मिशन के अंतर्गत शहरी क्षेत्रों में हरियाली बढ़ाने, पर्यावरण को सुरक्षित रखने महिला भागीदारी को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्रारंभ की गई है। यह भारत सरकार की "एक पेड़ माँ के नाम" मुहिम से प्रेरित है।

इस पहल के तहत महिला स्व-सहायता समूह (SHG's) को पौधारोपण, देखभाल, संरक्षण, जियो टैगिंग और जागरूकता जैसे कार्यों में जोड़ा जाएगा। यह न केवल पर्यावरण संरक्षण में मदद करेगा, अपितु SHG's को स्थानीय स्तर पर आजीविका और सशक्तिकरण के अवसर भी प्रदान करेगा।

यह कार्यक्रम जलवायु अनुकूल विकास को बढ़ावा देने के साथ-साथ सतत विकास लक्ष्यों (SDG 11, 13 एवं 15) की प्राप्ति की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम है।

परियोजना के मुख्य उद्देश्य और दृष्टिकोण

- महिला स्व-सहायता समूहों (SHG's) को वृक्षारोपण योजना, स्थल चयन और निगरानी की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल किया जाएगा, जिससे उनके भीतर उत्तरदायित्व और स्वामित्व की भावना विकसित हो।
- SHG's को पौधारोपण, देखभाल, संरक्षण एवं संधारण की व्यावहारिक जानकारी हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से सशक्त किया जाएगा।
- वृक्षों के महत्व और पर्यावरण संरक्षण के विषय में समुदाय स्तर पर जागरूकता सत्र, शिविर और संवाद गतिविधियाँ आयोजित की जाएंगी।
- वृक्षों की वृद्धि, जीवित रहने की दर, जियो टैगिंग और नियमित प्रगति रिपोर्टिंग हेतु निगरानी प्रणाली विकसित की जाएगी।
- वृक्षारोपण के लिए स्थानीय रूप से उपयुक्त पेड़-पौधों का चयन किया जाएगा, ताकि जैव विविधता को बढ़ावा मिले और पर्यावरणीय संतुलन बना रहे।

परिभाषाएँ :-

| | | |
|--------------------|---|---|
| आयुक्त | - | नगर पालिक निगम, भिलाई-चरौदा के आयुक्त |
| सक्षम प्राधिकारी | - | स्थानीय आयुक्त / कलेक्टर जिला - दुर्ग |
| इच्छुक आवेदक | - | कार्य में भागीदारी हेतु पंजीकृत महिला स्व-सहायता समूह |
| AMRUT | - | Atal Mission For Rejuvenation and Urban Transformation |
| रुचि की अभिव्यक्ति | - | AMRUT Mitra अंतर्गत चयनित स्व सहायता समूह जो वृक्षारोपण, संरक्षण, जियो टैगिंग एवं पर्यावरणीय जागरूकता हेतु कार्य करेगा। |
| प्रस्ताव | - | रुचि की अभिव्यक्ति के अनुरूप इच्छुक समूह द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज |
| निकाय | - | नगर पालिक निगम, भिलाई-चरौदा, जिला - दुर्ग |

सामान्य शर्तें :—

1. कार्य हेतु इच्छुक "स्व-सहायता समूह" इस दस्तावेज के दिशा-निर्देशों के अनुरूप निर्धारित समयावधि में कार्य निष्पादन हेतु अपना प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं।
2. कार्य हेतु प्रस्ताव "Women for Tree" योजना के अंतर्गत वृक्षारोपण एवं संरक्षण कार्यों के लिए महिला "स्व-सहायता समूहों" द्वारा किया जाएगा।
3. प्रत्येक SHG को न्यूनतम 100 पौधों का रोपण कर परियोजना की संपूर्ण अवधि तक उनका संरक्षण व संधारण करना अनिवार्य होगा।
4. वृक्षारोपण एवं निगरानी कार्य हेतु आवश्यक उपकरण एवं सामग्री जैसे फावड़ा, उपस्थिति पंजिका (Attendance Register) आदि निकाय द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी।
5. किसी भी स्थिति में कार्यावधि के दौरान SHG के सदस्यों में परिवर्तन नहीं किया जाएगा। यदि किसी परिस्थिति में परिवर्तन की आवश्यकता हो, तो पहले निकाय के अधिकारी को सूचित करना अनिवार्य होगा, तत्पश्चात निकाय द्वारा निर्णय लिया जाएगा।
6. SHG के बैंक खाते में भुगतान SNA Sparsh के माध्यम से किया जाएगा। प्राप्त राशि का आंतरिक वितरण समूह प्रमुख की जिम्मेदारी होगी।
7. प्रत्येक SHG को कार्य हेतु मानदेय के रूप में राशि ₹ 8,000.00 प्रति माह भुगतान किया जाएगा।
8. प्रत्येक जियो-टैग किए गए पौधे हेतु SHG को ₹ 10.00 प्रति पौधा प्रतिमाह प्रोत्साहन राशि (Incentive) प्रदान की जाएगी, जिसकी जानकारी भारत सरकार के पोर्टल, NIC के मेरी लाइफ पोर्टल एवं अन्य संबंधित पोर्टल में अपलोड करना अनिवार्य होगा।
9. एक SHG अधिकतम दो कार्य क्षेत्रों के लिए आवेदन कर सकती है, किन्तु प्रत्येक स्थल हेतु पृथक-पृथक मूल्यांकन किया जाएगा।
10. यदि किसी एक स्थल के लिए एक से अधिक SHG पात्र पाई जाती हैं, तो उस स्थल के लिए कार्य आबंटन लॉटरी प्रणाली के माध्यम से किया जाएगा।
11. पौधे आवश्यकतानुसार निकाय द्वारा SHG's को प्रदान किए जाएंगे।
12. SHG का कार्य समय प्रातः 9:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक रहेगा, जिसमें वृक्षारोपण एवं संरक्षण कार्य संपन्न किया जाना अनिवार्य है।
13. सभी SHG सदस्यों को निर्धारित ड्रेस कोड में कार्य स्थल पर उपस्थित होना अनिवार्य है: नीली साड़ी, सूट अथवा शर्ट के साथ AMRUT मित्र जैकेट/वेस्ट। यदि कोई सदस्य ड्रेस कोड का उल्लंघन करता है, तो संबंधित SHG पर ₹ 50.00 प्रतिदिन का जुर्माना लगाया जाएगा।
14. SHG की प्रमुख सदस्य की यह जिम्मेदारी होगी कि वे प्रत्येक माह की 05 तारीख तक पूर्व माह का देयक निकाय को प्रस्तुत करें।
15. प्रत्येक प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु पूर्व निर्धारित कार्य की जानकारी एवं तत्संबंधित निकाय की अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
16. कार्य हेतु "रुचि की अभिव्यक्ति (E.O.I.)" का प्रारूप नगर पालिक निगम, भिलाई-चरौदा की website – www.nagarnigambhilaicharoda.com से प्राप्त किया जा सकता है अथवा आयुक्त, नगर पालिक निगम, भिलाई-चरौदा के कार्यालय से प्रत्येक परियोजना के लिए ₹ 100.00 शुल्क का भुगतान कर कर प्राप्त किया जा सकता है।
17. निर्धारित प्रारूप में आवेदन प्रस्तुत करने हेतु इच्छुक महिला स्व-सहायता समूह (SHG's) "E.O.I." के प्रारूप अनुसार आवेदन प्रस्तुत करें। एक समूह द्वारा एक से अधिक स्थलों हेतु आवेदन किया जा सकता है, किन्तु एक स्थल पर एक ही समूह चयनित किया जाएगा।
18. आवेदन पत्र "रुचि की अभिव्यक्ति (E.O.I.)" निर्धारित तिथि तक कार्यालय में जमा किया जाना अनिवार्य है। अंतिम तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
19. आवेदन पत्र के साथ समूह का पंजीयन प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, बैंक खाता विवरण, समूह की हालिया बैठक की कार्यवाही प्रस्तुत करनी होगी। साथ ही समूह के दो सदस्यों की डिजिटल साक्षरता (जैसे स्मार्टफोन का उपयोग करने की क्षमता) का ज्ञान होना आवश्यक है।

20. समूहों का चयन प्राप्त प्रस्तावों के तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर किया जाएगा।
21. नगर पालिक निगम, भिलाई-चरौदा द्वारा चयन के उपरान्त संबंधित SHG से अनुबंध किया जाएगा एवं कार्यान्वयन की निगरानी की जाएगी। अनुबंध की अवधि न्यूनतम 12 माह की होगी।
22. वृक्षारोपण कार्य निर्धारित 30 कार्य दिवसों के भीतर पूरा करना होगा, और लगाए गए सभी पौधों को जीवित रखना अनिवार्य है। यदि कोई पौधे की क्षति हो जाती है, तो उसकी जगह दोगुनी ऊंचाई का नया पौधा लगाना होगा; अन्यथा, संबंधित SHG की भुगतान राशि से कटौती की जाएगी।
23. पौधों को प्रमाणित नर्सरी या सरकारी विभाग से संबंधित निकाय द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। स्थानीय और जलवायु के अनुकूल (climate-resilient) प्रजातियों को प्राथमिकता दी जाएगी, और पौधों की ऊंचाई अंततः 4-5 फीट होगी।
24. समूह द्वारा प्रस्तुत वृक्षारोपण कार्य की जियो-टैगिंग एवं वृक्षों की संधारण रिपोर्ट समय-समय पर निगम को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
25. निर्धारित समयावधि के भीतर प्राप्त प्रस्तावों पर विचार कर निर्णय लिया जाएगा एवं यह निर्णय अंतिम व बाध्यकारी होगा।
26. **तिथियों का अनुसूची :-**
 - a. रुचि की अभिव्यक्ति (E.O.I.) जारी किए जाने की तिथि: 25-07-2025
 - b. मीटिंग दिनांक : 28-07-2025 स्थल – निगम सभागार, 11:00 बजे
 - c. विस्तृत जानकारी हेतु संपर्क ईमेल: cmobhilaicharoda@gmail.com
 - d. रुचि की अभिव्यक्ति (E.O.I.) दस्तावेज कार्यालय से प्राप्त करने की अंतिम तिथि: 31-07-2025
 - e. "E.O.I." प्रस्ताव कार्यालय में जमा करने की अंतिम तिथि: 01-08-2025
 - f. प्रस्ताव खोलने की तिथि: 04-08-2025, समय पूर्वाह्न 11:30 बजे,
स्थल: सभागार कक्ष, नगर पालिक निगम, भिलाई-चरौदा, जिला – दुर्ग (छ.ग.)
26. कार्य हेतु "रुचि की अभिव्यक्ति (E.O.I.)" एवं "प्रस्ताव" निर्धारित प्रारूप में आयुक्त, नगर पालिक निगम, भिलाई-चरौदा, को दिनांक – 01-08-2025 सायं - 05:30 बजे तक बंद लिफाफे में व्यक्तिगत रूप से अथवा पंजीकृत डाक के माध्यम से प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है। लिफाफे के ऊपर स्पष्ट रूप से उल्लेख करें: "Women for Tree पहल अंतर्गत AMRUT Mitra द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव" टिप्पणी:
 - (अ) प्रस्ताव संपूर्ण-स्वरूप में प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है, जिसमें SHG की प्रोफाइल जानकारी अवश्य संलग्न करें।
 - (ब) प्रस्ताव का एक डिजिटल संस्करण (PDF) भी पेन ड्राइव/सीडी/डीवीडी में संलग्न कर प्रस्तुत करें।
27. चयनित समूह द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों का मूल्यांकन स्थल निरीक्षण, प्रस्ताव की व्यावहारिकता, अनुभव एवं दक्षता के आधार पर तकनीकी समिति द्वारा किया जाएगा। अंतिम निर्णय नगर पालिक निगम, भिलाई-चरौदा, के सक्षम अधिकारी द्वारा लिया जाएगा।
28. चयनित समूह की सूची दिनांक – 06-08-2025 को प्रातः 11:30 बजे कार्यालय नगर पालिक निगम, भिलाई-चरौदा, के सूचना पटल, एवं कार्यालय के कक्ष क्र. 13 में प्रदर्शित की जाएगी। इस सूची में चयनित समूह को ही अनुबंध हेतु आमंत्रित किया जाएगा।
29. किसी भी स्थिति में नगर पालिक निगम, भिलाई-चरौदा, को प्राप्त प्रस्तावों को अस्वीकार करने या संशोधित करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित है।
30. कार्य निष्पादन में देरी, अनुबंध उल्लंघन, या गुणवत्ता में कमी की स्थिति में नगर पालिक निगम, भिलाई-चरौदा, द्वारा अनुबंध निरस्त किया जा सकता है।
31. कार्य के संबंध में सक्षम अधिकारी द्वारा अथवा "Women for Tree" योजनान्तर्गत प्रस्तावित समूह के मध्य किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में इसका निपटारा आर्बिटर जो कि कलेक्टर जिला – दुर्ग होंगे के द्वारा किया जाएगा। आर्बिटर के द्वारा दिया गया आदेश दोनों पक्षों हेतु समान रूप से बाध्यकारी रहेगा।

32. E.O.I. में भाग लेने हेतु आवश्यक दस्तावेज:

- डिमांड ड्राफ्ट
- शपथ पत्र (प्रपत्र-01 अनुसार)
- स्व सहायता समूह के विवरण (प्रपत्र-02 अनुसार)
- स्व सहायता समूह के द्वारा अद्यतन कृत कार्यों का विवरण (प्रपत्र-03 अनुसार)
- स्व सहायता समूह के पदाधिकारियों का विवरण (प्रपत्र-04 अनुसार)
- आवेदन पत्र के साथ समूह का पंजीयन प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, बैंक खाता विवरण, समूह की हालिया बैठक की कार्यवाही विवरण प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

33. कार्य हेतु नियुक्त समूह की चयन प्रक्रिया:

- इसमें भाग लेने हेतु इच्छुक आवेदनों को गुण-दोष के आधार पर निकाली गई सूची के अनुसार चुना जाएगा।
 - भारत सरकार आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय एवं संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन इस चयन प्रक्रिया में किया जाएगा।
34. कार्य हेतु नियुक्त समूहों को कार्य आदेश निर्गत किए जाने से पहले स्थल का भौतिक परीक्षण आवश्यक होगा। समूह को लिखित सहमति देनी होगी कि वे दिये गए स्थल पर समय-सीमा में कार्य करने को तैयार हैं। यदि समूह कार्य करने से इनकार करता है, तो वैकल्पिक समूह को अवसर दिया जाएगा।
35. चयनित समूहों द्वारा पेड़ की देख-रेख और मासिक प्रतिवेदन आगामी माह के प्रथम सप्ताह में संलग्न प्रपत्र में कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई-चरौदा को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
36. कार्यदिश प्राप्त होने की तिथि : चयनित समूहों को कार्यदिश पृथक रूप से कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई-चरौदा से जारी किए जाएंगे।
37. परीक्षण/निरीक्षण उपरान्त यदि सूचना पाई गई कि समूह स्वीकृत निर्देशों के विरुद्ध कार्य कर रहा है या गुणवत्ता मानकों की अनदेखी कर रहा है, तो नगर पालिक निगम, भिलाई-चरौदा द्वारा उसका पंजीयन एवं आदेश निरस्त किया जा सकेगा।
38. यदि कार्य में समूह या संबंधित अधिकारियों द्वारा समय-समय पर आवश्यक सूचनाएं प्रस्तुत नहीं की जातीं, तो ऐसे समूहों को भविष्य में कार्य हेतु अनुपयुक्त घोषित किया जा सकता है।
39. **Women for Tree पहल** के संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी हेतु कार्यालय से अथवा cmobhilaicharoda@gmail.com पर संपर्क किया जा सकता है।
40. आवेदन की अंतिम तिथि – 01-08-2025 दोपहर 05:30 बजे तक तक है।
41. चयनित समूहों को कार्य की प्राथमिक जानकारी संचालन एवं कार्यान्वयन हेतु विभाग द्वारा समय-समय पर प्रशिक्षण आयोजित किया जावेगा।
42. Women for Tree योजना हेतु निकाय, DAY-NULM इकाई, वन विभाग, और संबंधित कार्यालयों की संयुक्त कार्यशाला आयोजित की जा सकती है।
43. चयनित समूह को समर्पित कार्य हेतु सक्रिय होना अनिवार्य है।
44. चयनित समूहों द्वारा कार्यान्वयन की गुणवत्ता और रोपण/संरक्षण की स्थिति की आधार पर भविष्य में उन्हें स्वच्छता दीर्घिका एवं मिशन सम्मान में विशेष आमंत्रण या प्रोत्साहन दिया जा सकता है।

आयुक्त
नगर पालिक निगम
भिलाई-चरौदा

// प्रस्ताव प्रस्तुतीकरण //

प्रति,

आयुक्त,
नगर पालिक निगम, भिलाई-चरौदा
जिला – दुर्ग (छ.ग.)

विषय :- रूचि की अभिव्यक्ति (E.O.I.) Amrut Mitra योजना अंतर्गत समूह चयन बाबत् प्रस्ताव।

संदर्भ :- आपके कार्यालय के रूचि की अभिव्यक्ति (E.O.I.) क्रं. 595 दिनांक – 25/07/2025

महोदय,

उपरोक्त विषयांकित कार्य हेतु संदर्भित ज्ञापन के अनुक्रम में जारी “रूचि की अभिव्यक्ति” (E.O.I.) का प्रस्ताव नगर पालिक निगम, भिलाई-चरौदा, जिला – दुर्ग (छ.ग.) क्षेत्र में “Amrut Mitra” योजनान्तर्गत समूह चयन बाबत् जारी दिशा-निर्देशों का भलीभांति अवलोकन, अध्ययन किये जाने के उपरान्त तैयार कर प्रस्तुत किया जा रहा है।

संलग्न :-

1 दस्तावेज शुल्क :-

डिमांड ड्राफ्ट क्रं. दिनांक.....

बैंक का नाम.....

राशि रूपये

2 आवेदक का पंजीयन नियमावली एवं अन्य वांछित जानकारी ।

3 समूह के प्रमुख के बैंक खाता संख्या की जानकारी पासबुक की प्रति संलग्न कर प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

भवदीय
आवेदक का नाम पद मुद्रा
एवं हस्ताक्षर

// स्व सहायता समूह का विवरण //

| | | |
|-----|--|--|
| 1 | आवेदक का नाम : | |
| 2 | परियोजना कोड : AMT-CG-BHILAI_CHARODA-5548 | |
| 3 | स्थान : | |
| 4 | वैधानिक पता | |
| 5 | दूरभाष क्रं. | |
| 6 | फैक्स/ईमेल | |
| 7 | पंजीयन का क्रमांक एवं दिनांक | |
| 8 | प्रस्तावित कार्यो हेतु संपर्क सूत्र /व्यक्ति का विवरण | |
| i | नाम | |
| ii | पदनाम | |
| iii | पता | |
| iv | दूरभाष क्रमांक | |
| v | फैक्स/ईमेल | |
| 9 | प्रस्तुत प्रस्ताव के प्रस्तुतकर्ता/हस्ताक्षरकर्ता का विवरण | |
| i | नाम | |
| ii | पदनाम | |
| iii | पता | |
| iv | दूरभाष क्रमांक | |
| v | फैक्स/ईमेल | |

भवदीय
आवेदक का नाम पद मुद्रा
एवं हस्ताक्षर

// स्व सहायता समूह के द्वारा अद्यतन कृत कार्यों का विवरण //

| क्र. | कार्य का विवरण | वर्ष | वर्तमान स्थिति | टिप्पणी |
|------|----------------|------|----------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

टीप – कृपया उपरोक्त कार्यों के संदर्भ में शासकीय/अशासकीय आदेश/पत्राचार की सत्यप्रतिलिपि संलग्न करें।

भवदीय
आवेदक का नाम पद मुद्रा
एवं हस्ताक्षर

// स्व सहायता समूह के पदाधिकारियों का विवरण //

| क्र. | नाम | पदनाम | पता एवं मोबाइल न. | टिप्पणी |
|------|-----|-------|-------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

टीप – पंजीयन उपरान्त जोड़े गये /विलोपित किये गये पदाधिकारियों का उल्लेख टिप्पणी के कॉलम में करें ।

भवदीय
आवेदक का नाम पद मुद्रा
एवं हस्ताक्षर

कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई-चरौदा,
जिला – दुर्ग(छ.ग.)

रुचि की अभिव्यक्ति (E.O.I.)

**Project Code :-
AMT-CG-BHILAI_CHARODA-5578**

AMRUT Mitra

“Women for Tree”

अंतर्गत

समूह चयन बाबत् प्रस्ताव

**आयुक्त
नगर पालिक निगम
भिलाई-चरौदा**

प्रस्तावना :-

"Women for Tree" पहल AMRUT 2.0 मिशन के अंतर्गत शहरी क्षेत्रों में हरियाली बढ़ाने, पर्यावरण को सुरक्षित रखने महिला भागीदारी को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्रारंभ की गई है। यह भारत सरकार की "एक पेड़ माँ के नाम" मुहिम से प्रेरित है।

इस पहल के तहत महिला स्व-सहायता समूह (SHG's) को पौधारोपण, देखभाल, संरक्षण, जियो टैगिंग और जागरूकता जैसे कार्यों में जोड़ा जाएगा। यह न केवल पर्यावरण संरक्षण में मदद करेगा, अपितु SHG's को स्थानीय स्तर पर आजीविका और सशक्तिकरण के अवसर भी प्रदान करेगा।

यह कार्यक्रम जलवायु अनुकूल विकास को बढ़ावा देने के साथ-साथ सतत विकास लक्ष्यों (SDG 11, 13 एवं 15) की प्राप्ति की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम है।

परियोजना के मुख्य उद्देश्य और दृष्टिकोण

- महिला स्व-सहायता समूहों (SHG's) को वृक्षारोपण योजना, स्थल चयन और निगरानी की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल किया जाएगा, जिससे उनके भीतर उत्तरदायित्व और स्वामित्व की भावना विकसित हो।
- SHG's को पौधारोपण, देखभाल, संरक्षण एवं संधारण की व्यावहारिक जानकारी हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से सशक्त किया जाएगा।
- वृक्षों के महत्व और पर्यावरण संरक्षण के विषय में समुदाय स्तर पर जागरूकता सत्र, शिविर और संवाद गतिविधियाँ आयोजित की जाएंगी।
- वृक्षों की वृद्धि, जीवित रहने की दर, जियो टैगिंग और नियमित प्रगति रिपोर्टिंग हेतु निगरानी प्रणाली विकसित की जाएगी।
- वृक्षारोपण के लिए स्थानीय रूप से उपयुक्त पेड़-पौधों का चयन किया जाएगा, ताकि जैव विविधता को बढ़ावा मिले और पर्यावरणीय संतुलन बना रहे।

परिभाषाएँ :-

| | | |
|--------------------|---|---|
| आयुक्त | - | नगर पालिक निगम, भिलाई-चरौदा के आयुक्त |
| सक्षम प्राधिकारी | - | स्थानीय आयुक्त / कलेक्टर जिला - दुर्ग |
| इच्छुक आवेदक | - | कार्य में भागीदारी हेतु पंजीकृत महिला स्व-सहायता समूह |
| AMRUT | - | Atal Mission For Rejuvenation and Urban Transformation |
| रुचि की अभिव्यक्ति | - | AMRUT Mitra अंतर्गत चयनित स्व सहायता समूह जो वृक्षारोपण, संरक्षण, जियो टैगिंग एवं पर्यावरणीय जागरूकता हेतु कार्य करेगा। |
| प्रस्ताव | - | रुचि की अभिव्यक्ति के अनुरूप इच्छुक समूह द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज |
| निकाय | - | नगर पालिक निगम, भिलाई-चरौदा, जिला - दुर्ग |

सामान्य शर्तें :—

1. कार्य हेतु इच्छुक "स्व-सहायता समूह" इस दस्तावेज के दिशा-निर्देशों के अनुरूप निर्धारित समयावधि में कार्य निष्पादन हेतु अपना प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं।
2. कार्य हेतु प्रस्ताव "Women for Tree" योजना के अंतर्गत वृक्षारोपण एवं संरक्षण कार्यों के लिए महिला "स्व-सहायता समूहों" द्वारा किया जाएगा।
3. प्रत्येक SHG को न्यूनतम 100 पौधों का रोपण कर परियोजना की संपूर्ण अवधि तक उनका संरक्षण व संधारण करना अनिवार्य होगा।
4. वृक्षारोपण एवं निगरानी कार्य हेतु आवश्यक उपकरण एवं सामग्री जैसे फावड़ा, उपस्थिति पंजिका (Attendance Register) आदि निकाय द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी।
5. किसी भी स्थिति में कार्यावधि के दौरान SHG के सदस्यों में परिवर्तन नहीं किया जाएगा। यदि किसी परिस्थिति में परिवर्तन की आवश्यकता हो, तो पहले निकाय के अधिकारी को सूचित करना अनिवार्य होगा, तत्पश्चात निकाय द्वारा निर्णय लिया जाएगा।
6. SHG के बैंक खाते में भुगतान SNA Sparsh के माध्यम से किया जाएगा। प्राप्त राशि का आंतरिक वितरण समूह प्रमुख की जिम्मेदारी होगी।
7. प्रत्येक SHG को कार्य हेतु मानदेय के रूप में राशि ₹ 8,000.00 प्रति माह भुगतान किया जाएगा।
8. प्रत्येक जियो-टैग किए गए पौधे हेतु SHG को ₹ 10.00 प्रति पौधा प्रतिमाह प्रोत्साहन राशि (Incentive) प्रदान की जाएगी, जिसकी जानकारी भारत सरकार के पोर्टल, NIC के मेरी लाइफ पोर्टल एवं अन्य संबंधित पोर्टल में अपलोड करना अनिवार्य होगा।
9. एक SHG अधिकतम दो कार्य क्षेत्रों के लिए आवेदन कर सकती है, किन्तु प्रत्येक स्थल हेतु पृथक-पृथक मूल्यांकन किया जाएगा।
10. यदि किसी एक स्थल के लिए एक से अधिक SHG पात्र पाई जाती हैं, तो उस स्थल के लिए कार्य आबंटन लॉटरी प्रणाली के माध्यम से किया जाएगा।
11. पौधे आवश्यकतानुसार निकाय द्वारा SHG's को प्रदान किए जाएंगे।
12. SHG का कार्य समय प्रातः 9:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक रहेगा, जिसमें वृक्षारोपण एवं संरक्षण कार्य संपन्न किया जाना अनिवार्य है।
13. सभी SHG सदस्यों को निर्धारित ड्रेस कोड में कार्य स्थल पर उपस्थित होना अनिवार्य है: नीली साड़ी, सूट अथवा शर्ट के साथ AMRUT मित्र जैकेट/वेस्ट। यदि कोई सदस्य ड्रेस कोड का उल्लंघन करता है, तो संबंधित SHG पर ₹ 50.00 प्रतिदिन का जुर्माना लगाया जाएगा।
14. SHG की प्रमुख सदस्य की यह जिम्मेदारी होगी कि वे प्रत्येक माह की 05 तारीख तक पूर्व माह का देयक निकाय को प्रस्तुत करें।
15. प्रत्येक प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु पूर्व निर्धारित कार्य की जानकारी एवं तत्संबंधित निकाय की अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
16. कार्य हेतु "रुचि की अभिव्यक्ति (E.O.I.)" का प्रारूप नगर पालिक निगम, भिलाई-चरौदा की website – www.nagarnigambhilaicharoda.com से प्राप्त किया जा सकता है अथवा आयुक्त, नगर पालिक निगम, भिलाई-चरौदा के कार्यालय से प्रत्येक परियोजना के लिए ₹ 100.00 शुल्क का भुगतान कर कर प्राप्त किया जा सकता है।
17. निर्धारित प्रारूप में आवेदन प्रस्तुत करने हेतु इच्छुक महिला स्व-सहायता समूह (SHG's) "E.O.I." के प्रारूप अनुसार आवेदन प्रस्तुत करें। एक समूह द्वारा एक से अधिक स्थलों हेतु आवेदन किया जा सकता है, किन्तु एक स्थल पर एक ही समूह चयनित किया जाएगा।
18. आवेदन पत्र "रुचि की अभिव्यक्ति (E.O.I.)" निर्धारित तिथि तक कार्यालय में जमा किया जाना अनिवार्य है। अंतिम तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
19. आवेदन पत्र के साथ समूह का पंजीयन प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, बैंक खाता विवरण, समूह की हालिया बैठक की कार्यवाही प्रस्तुत करनी होगी। साथ ही समूह के दो सदस्यों की डिजिटल साक्षरता (जैसे स्मार्टफोन का उपयोग करने की क्षमता) का ज्ञान होना आवश्यक है।

20. समूहों का चयन प्राप्त प्रस्तावों के तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर किया जाएगा।
21. नगर पालिक निगम, भिलाई-चरौदा द्वारा चयन के उपरान्त संबंधित SHG से अनुबंध किया जाएगा एवं कार्यान्वयन की निगरानी की जाएगी। अनुबंध की अवधि न्यूनतम 12 माह की होगी।
22. वृक्षारोपण कार्य निर्धारित 30 कार्य दिवसों के भीतर पूरा करना होगा, और लगाए गए सभी पौधों को जीवित रखना अनिवार्य है। यदि कोई पौधे की क्षति हो जाती है, तो उसकी जगह दोगुनी ऊंचाई का नया पौधा लगाना होगा; अन्यथा, संबंधित SHG की भुगतान राशि से कटौती की जाएगी।
23. पौधों को प्रमाणित नर्सरी या सरकारी विभाग से संबंधित निकाय द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। स्थानीय और जलवायु के अनुकूल (climate-resilient) प्रजातियों को प्राथमिकता दी जाएगी, और पौधों की ऊंचाई अंततः 4-5 फीट होगी।
24. समूह द्वारा प्रस्तुत वृक्षारोपण कार्य की जियो-टैगिंग एवं वृक्षों की संधारण रिपोर्ट समय-समय पर निगम को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
25. निर्धारित समयावधि के भीतर प्राप्त प्रस्तावों पर विचार कर निर्णय लिया जाएगा एवं यह निर्णय अंतिम व बाध्यकारी होगा।
26. **तिथियों का अनुसूची :-**
 - a. रुचि की अभिव्यक्ति (E.O.I.) जारी किए जाने की तिथि: 25-07-2025
 - b. मीटिंग दिनांक : 28-07-2025 स्थल – निगम सभागार, 11:00 बजे
 - c. विस्तृत जानकारी हेतु संपर्क ईमेल: cmobhilaicharoda@gmail.com
 - d. रुचि की अभिव्यक्ति (E.O.I.) दस्तावेज कार्यालय से प्राप्त करने की अंतिम तिथि: 31-07-2025
 - e. "E.O.I." प्रस्ताव कार्यालय में जमा करने की अंतिम तिथि: 01-08-2025
 - f. प्रस्ताव खोलने की तिथि: 04-08-2025, समय पूर्वाह्न 11:30 बजे,
स्थल: सभागार कक्ष, नगर पालिक निगम, भिलाई-चरौदा, जिला – दुर्ग (छ.ग.)
26. कार्य हेतु "रुचि की अभिव्यक्ति (E.O.I.)" एवं "प्रस्ताव" निर्धारित प्रारूप में आयुक्त, नगर पालिक निगम, भिलाई-चरौदा, को दिनांक – 01-08-2025 सायं - 05:30 बजे तक बंद लिफाफे में व्यक्तिगत रूप से अथवा पंजीकृत डाक के माध्यम से प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है। लिफाफे के ऊपर स्पष्ट रूप से उल्लेख करें: "Women for Tree पहल अंतर्गत AMRUT Mitra द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव" टिप्पणी:
 - (अ) प्रस्ताव संपूर्ण-स्वरूप में प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है, जिसमें SHG की प्रोफाइल जानकारी अवश्य संलग्न करें।
 - (ब) प्रस्ताव का एक डिजिटल संस्करण (PDF) भी पेन ड्राइव/सीडी/डीवीडी में संलग्न कर प्रस्तुत करें।
27. चयनित समूह द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों का मूल्यांकन स्थल निरीक्षण, प्रस्ताव की व्यावहारिकता, अनुभव एवं दक्षता के आधार पर तकनीकी समिति द्वारा किया जाएगा। अंतिम निर्णय नगर पालिक निगम, भिलाई-चरौदा, के सक्षम अधिकारी द्वारा लिया जाएगा।
28. चयनित समूह की सूची दिनांक – 06-08-2025 को प्रातः 11:30 बजे कार्यालय नगर पालिक निगम, भिलाई-चरौदा, के सूचना पटल, एवं कार्यालय के कक्ष क्र. 13 में प्रदर्शित की जाएगी। इस सूची में चयनित समूह को ही अनुबंध हेतु आमंत्रित किया जाएगा।
29. किसी भी स्थिति में नगर पालिक निगम, भिलाई-चरौदा, को प्राप्त प्रस्तावों को अस्वीकार करने या संशोधित करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित है।
30. कार्य निष्पादन में देरी, अनुबंध उल्लंघन, या गुणवत्ता में कमी की स्थिति में नगर पालिक निगम, भिलाई-चरौदा, द्वारा अनुबंध निरस्त किया जा सकता है।
31. कार्य के संबंध में सक्षम अधिकारी द्वारा अथवा "Women for Tree" योजनान्तर्गत प्रस्तावित समूह के मध्य किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में इसका निपटारा आर्बिटर जो कि कलेक्टर जिला – दुर्ग होंगे के द्वारा किया जाएगा। आर्बिटर के द्वारा दिया गया आदेश दोनों पक्षों हेतु समान रूप से बाध्यकारी रहेगा।

32. E.O.I. में भाग लेने हेतु आवश्यक दस्तावेज:

- डिमांड ड्राफ्ट
- शपथ पत्र (प्रपत्र-01 अनुसार)
- स्व सहायता समूह के विवरण (प्रपत्र-02 अनुसार)
- स्व सहायता समूह के द्वारा अद्यतन कृत कार्यों का विवरण (प्रपत्र-03 अनुसार)
- स्व सहायता समूह के पदाधिकारियों का विवरण (प्रपत्र-04 अनुसार)
- आवेदन पत्र के साथ समूह का पंजीयन प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, बैंक खाता विवरण, समूह की हालिया बैठक की कार्यवाही विवरण प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

33. कार्य हेतु नियुक्त समूह की चयन प्रक्रिया:

- इसमें भाग लेने हेतु इच्छुक आवेदनों को गुण-दोष के आधार पर निकाली गई सूची के अनुसार चुना जाएगा।
 - भारत सरकार आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय एवं संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन इस चयन प्रक्रिया में किया जाएगा।
34. कार्य हेतु नियुक्त समूहों को कार्य आदेश निर्गत किए जाने से पहले स्थल का भौतिक परीक्षण आवश्यक होगा। समूह को लिखित सहमति देनी होगी कि वे दिये गए स्थल पर समय-सीमा में कार्य करने को तैयार हैं। यदि समूह कार्य करने से इनकार करता है, तो वैकल्पिक समूह को अवसर दिया जाएगा।
35. चयनित समूहों द्वारा पेड़ की देख-रेख और मासिक प्रतिवेदन आगामी माह के प्रथम सप्ताह में संलग्न प्रपत्र में कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई-चरौदा को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
36. कार्यदिश प्राप्त होने की तिथि : चयनित समूहों को कार्यदिश पृथक रूप से कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई-चरौदा से जारी किए जाएंगे।
37. परीक्षण/निरीक्षण उपरान्त यदि सूचना पाई गई कि समूह स्वीकृत निर्देशों के विरुद्ध कार्य कर रहा है या गुणवत्ता मानकों की अनदेखी कर रहा है, तो नगर पालिक निगम, भिलाई-चरौदा द्वारा उसका पंजीयन एवं आदेश निरस्त किया जा सकेगा।
38. यदि कार्य में समूह या संबंधित अधिकारियों द्वारा समय-समय पर आवश्यक सूचनाएं प्रस्तुत नहीं की जातीं, तो ऐसे समूहों को भविष्य में कार्य हेतु अनुपयुक्त घोषित किया जा सकता है।
39. **Women for Tree पहल** के संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी हेतु कार्यालय से अथवा cmobhilaicharoda@gmail.com पर संपर्क किया जा सकता है।
40. आवेदन की अंतिम तिथि – 01-08-2025 दोपहर 05:30 बजे तक तक है।
41. चयनित समूहों को कार्य की प्राथमिक जानकारी संचालन एवं कार्यान्वयन हेतु विभाग द्वारा समय-समय पर प्रशिक्षण आयोजित किया जावेगा।
42. Women for Tree योजना हेतु निकाय, DAY-NULM इकाई, वन विभाग, और संबंधित कार्यालयों की संयुक्त कार्यशाला आयोजित की जा सकती है।
43. चयनित समूह को समर्पित कार्य हेतु सक्रिय होना अनिवार्य है।
44. चयनित समूहों द्वारा कार्यान्वयन की गुणवत्ता और रोपण/संरक्षण की स्थिति की आधार पर भविष्य में उन्हें स्वच्छता दीर्घिका एवं मिशन सम्मान में विशेष आमंत्रण या प्रोत्साहन दिया जा सकता है।

आयुक्त
नगर पालिक निगम
भिलाई-चरौदा

// प्रस्ताव प्रस्तुतीकरण //

प्रति,

आयुक्त,
नगर पालिक निगम, भिलाई-चरौदा
जिला – दुर्ग (छ.ग.)

विषय :- रूचि की अभिव्यक्ति (E.O.I.) Amrut Mitra योजना अंतर्गत समूह चयन बाबत् प्रस्ताव।

संदर्भ :- आपके कार्यालय के रूचि की अभिव्यक्ति (E.O.I.) क्रं. 595 दिनांक – 25/07/2025

महोदय,

उपरोक्त विषयांकित कार्य हेतु संदर्भित ज्ञापन के अनुक्रम में जारी “रूचि की अभिव्यक्ति” (E.O.I.) का प्रस्ताव नगर पालिक निगम, भिलाई-चरौदा, जिला – दुर्ग (छ.ग.) क्षेत्र में “Amrut Mitra” योजनान्तर्गत समूह चयन बाबत् जारी दिशा-निर्देशों का भलीभांति अवलोकन, अध्ययन किये जाने के उपरान्त तैयार कर प्रस्तुत किया जा रहा है।

संलग्न :-

1 दस्तावेज शुल्क :-

डिमांड ड्राफ्ट क्रं. दिनांक.....

बैंक का नाम.....

राशि रूपये

2 आवेदक का पंजीयन नियमावली एवं अन्य वांछित जानकारी ।

3 समूह के प्रमुख के बैंक खाता संख्या की जानकारी पासबुक की प्रति संलग्न कर प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

भवदीय
आवेदक का नाम पद मुद्रा
एवं हस्ताक्षर

// स्व सहायता समूह का विवरण //

| | | |
|-----|--|--|
| 1 | आवेदक का नाम : | |
| 2 | परियोजना कोड : AMT-CG-BHILAI_CHARODA-5578 | |
| 3 | स्थान : | |
| 4 | वैधानिक पता | |
| 5 | दूरभाष क्रं. | |
| 6 | फैक्स/ईमेल | |
| 7 | पंजीयन का क्रमांक एवं दिनांक | |
| 8 | प्रस्तावित कार्यो हेतु संपर्क सूत्र /व्यक्ति का विवरण | |
| i | नाम | |
| ii | पदनाम | |
| iii | पता | |
| iv | दूरभाष क्रमांक | |
| v | फैक्स/ईमेल | |
| 9 | प्रस्तुत प्रस्ताव के प्रस्तुतकर्ता/हस्ताक्षरकर्ता का विवरण | |
| i | नाम | |
| ii | पदनाम | |
| iii | पता | |
| iv | दूरभाष क्रमांक | |
| v | फैक्स/ईमेल | |

भवदीय
आवेदक का नाम पद मुद्रा
एवं हस्ताक्षर

// स्व सहायता समूह के द्वारा अद्यतन कृत कार्यों का विवरण //

| क्र. | कार्य का विवरण | वर्ष | वर्तमान स्थिति | टिप्पणी |
|------|----------------|------|----------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

टीप – कृपया उपरोक्त कार्यों के संदर्भ में शासकीय/अशासकीय आदेश/पत्राचार की सत्यप्रतिलिपि संलग्न करें।

भवदीय
आवेदक का नाम पद मुद्रा
एवं हस्ताक्षर

// स्व सहायता समूह के पदाधिकारियों का विवरण //

| क्र. | नाम | पदनाम | पता एवं मोबाइल न. | टिप्पणी |
|------|-----|-------|-------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

टीप – पंजीयन उपरान्त जोड़े गये /विलोपित किये गये पदाधिकारियों का उल्लेख टिप्पणी के कॉलम में करें ।

भवदीय
आवेदक का नाम पद मुद्रा
एवं हस्ताक्षर

कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई-चरौदा,
जिला – दुर्ग(छ.ग.)

रुचि की अभिव्यक्ति (E.O.I.)

**Project Code :-
AMT-CG-BHILAI_CHARODA-5600**

AMRUT Mitra

“Women for Tree”

अंतर्गत

समूह चयन बाबत् प्रस्ताव

**आयुक्त
नगर पालिक निगम
भिलाई-चरौदा**

प्रस्तावना :-

"Women for Tree" पहल AMRUT 2.0 मिशन के अंतर्गत शहरी क्षेत्रों में हरियाली बढ़ाने, पर्यावरण को सुरक्षित रखने महिला भागीदारी को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्रारंभ की गई है। यह भारत सरकार की "एक पेड़ माँ के नाम" मुहिम से प्रेरित है।

इस पहल के तहत महिला स्व-सहायता समूह (SHG's) को पौधारोपण, देखभाल, संरक्षण, जियो टैगिंग और जागरूकता जैसे कार्यों में जोड़ा जाएगा। यह न केवल पर्यावरण संरक्षण में मदद करेगा, अपितु SHG's को स्थानीय स्तर पर आजीविका और सशक्तिकरण के अवसर भी प्रदान करेगा।

यह कार्यक्रम जलवायु अनुकूल विकास को बढ़ावा देने के साथ-साथ सतत विकास लक्ष्यों (SDG 11, 13 एवं 15) की प्राप्ति की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम है।

परियोजना के मुख्य उद्देश्य और दृष्टिकोण

- महिला स्व-सहायता समूहों (SHG's) को वृक्षारोपण योजना, स्थल चयन और निगरानी की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल किया जाएगा, जिससे उनके भीतर उत्तरदायित्व और स्वामित्व की भावना विकसित हो।
- SHG's को पौधारोपण, देखभाल, संरक्षण एवं संधारण की व्यावहारिक जानकारी हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से सशक्त किया जाएगा।
- वृक्षों के महत्व और पर्यावरण संरक्षण के विषय में समुदाय स्तर पर जागरूकता सत्र, शिविर और संवाद गतिविधियाँ आयोजित की जाएंगी।
- वृक्षों की वृद्धि, जीवित रहने की दर, जियो टैगिंग और नियमित प्रगति रिपोर्टिंग हेतु निगरानी प्रणाली विकसित की जाएगी।
- वृक्षारोपण के लिए स्थानीय रूप से उपयुक्त पेड़-पौधों का चयन किया जाएगा, ताकि जैव विविधता को बढ़ावा मिले और पर्यावरणीय संतुलन बना रहे।

परिभाषाएँ :-

| | | |
|--------------------|---|---|
| आयुक्त | - | नगर पालिक निगम, भिलाई-चरौदा के आयुक्त |
| सक्षम प्राधिकारी | - | स्थानीय आयुक्त / कलेक्टर जिला - दुर्ग |
| इच्छुक आवेदक | - | कार्य में भागीदारी हेतु पंजीकृत महिला स्व-सहायता समूह |
| AMRUT | - | Atal Mission For Rejuvenation and Urban Transformation |
| रुचि की अभिव्यक्ति | - | AMRUT Mitra अंतर्गत चयनित स्व सहायता समूह जो वृक्षारोपण, संरक्षण, जियो टैगिंग एवं पर्यावरणीय जागरूकता हेतु कार्य करेगा। |
| प्रस्ताव | - | रुचि की अभिव्यक्ति के अनुरूप इच्छुक समूह द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज |
| निकाय | - | नगर पालिक निगम, भिलाई-चरौदा, जिला - दुर्ग |

सामान्य शर्तें :—

1. कार्य हेतु इच्छुक "स्व-सहायता समूह" इस दस्तावेज के दिशा-निर्देशों के अनुरूप निर्धारित समयावधि में कार्य निष्पादन हेतु अपना प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं।
2. कार्य हेतु प्रस्ताव "Women for Tree" योजना के अंतर्गत वृक्षारोपण एवं संरक्षण कार्यों के लिए महिला "स्व-सहायता समूहों" द्वारा किया जाएगा।
3. प्रत्येक SHG को न्यूनतम 100 पौधों का रोपण कर परियोजना की संपूर्ण अवधि तक उनका संरक्षण व संधारण करना अनिवार्य होगा।
4. वृक्षारोपण एवं निगरानी कार्य हेतु आवश्यक उपकरण एवं सामग्री जैसे फावड़ा, उपस्थिति पंजिका (Attendance Register) आदि निकाय द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी।
5. किसी भी स्थिति में कार्यावधि के दौरान SHG के सदस्यों में परिवर्तन नहीं किया जाएगा। यदि किसी परिस्थिति में परिवर्तन की आवश्यकता हो, तो पहले निकाय के अधिकारी को सूचित करना अनिवार्य होगा, तत्पश्चात निकाय द्वारा निर्णय लिया जाएगा।
6. SHG के बैंक खाते में भुगतान SNA Sparsh के माध्यम से किया जाएगा। प्राप्त राशि का आंतरिक वितरण समूह प्रमुख की जिम्मेदारी होगी।
7. प्रत्येक SHG को कार्य हेतु मानदेय के रूप में राशि ₹ 8,000.00 प्रति माह भुगतान किया जाएगा।
8. प्रत्येक जियो-टैग किए गए पौधे हेतु SHG को ₹ 10.00 प्रति पौधा प्रतिमाह प्रोत्साहन राशि (Incentive) प्रदान की जाएगी, जिसकी जानकारी भारत सरकार के पोर्टल, NIC के मेरी लाइफ पोर्टल एवं अन्य संबंधित पोर्टल में अपलोड करना अनिवार्य होगा।
9. एक SHG अधिकतम दो कार्य क्षेत्रों के लिए आवेदन कर सकती है, किन्तु प्रत्येक स्थल हेतु पृथक-पृथक मूल्यांकन किया जाएगा।
10. यदि किसी एक स्थल के लिए एक से अधिक SHG पात्र पाई जाती हैं, तो उस स्थल के लिए कार्य आबंटन लॉटरी प्रणाली के माध्यम से किया जाएगा।
11. पौधे आवश्यकतानुसार निकाय द्वारा SHG's को प्रदान किए जाएंगे।
12. SHG का कार्य समय प्रातः 9:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक रहेगा, जिसमें वृक्षारोपण एवं संरक्षण कार्य संपन्न किया जाना अनिवार्य है।
13. सभी SHG सदस्यों को निर्धारित ड्रेस कोड में कार्य स्थल पर उपस्थित होना अनिवार्य है: नीली साड़ी, सूट अथवा शर्ट के साथ AMRUT मित्र जैकेट/वेस्ट। यदि कोई सदस्य ड्रेस कोड का उल्लंघन करता है, तो संबंधित SHG पर ₹ 50.00 प्रतिदिन का जुर्माना लगाया जाएगा।
14. SHG की प्रमुख सदस्य की यह जिम्मेदारी होगी कि वे प्रत्येक माह की 05 तारीख तक पूर्व माह का देयक निकाय को प्रस्तुत करें।
15. प्रत्येक प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु पूर्व निर्धारित कार्य की जानकारी एवं तत्संबंधित निकाय की अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
16. कार्य हेतु "रुचि की अभिव्यक्ति (E.O.I.)" का प्रारूप नगर पालिक निगम, भिलाई-चरौदा की website – www.nagarnigambhilaicharoda.com से प्राप्त किया जा सकता है अथवा आयुक्त, नगर पालिक निगम, भिलाई-चरौदा के कार्यालय से प्रत्येक परियोजना के लिए ₹ 100.00 शुल्क का भुगतान कर कर प्राप्त किया जा सकता है।
17. निर्धारित प्रारूप में आवेदन प्रस्तुत करने हेतु इच्छुक महिला स्व-सहायता समूह (SHG's) "E.O.I." के प्रारूप अनुसार आवेदन प्रस्तुत करें। एक समूह द्वारा एक से अधिक स्थलों हेतु आवेदन किया जा सकता है, किन्तु एक स्थल पर एक ही समूह चयनित किया जाएगा।
18. आवेदन पत्र "रुचि की अभिव्यक्ति (E.O.I.)" निर्धारित तिथि तक कार्यालय में जमा किया जाना अनिवार्य है। अंतिम तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
19. आवेदन पत्र के साथ समूह का पंजीयन प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, बैंक खाता विवरण, समूह की हालिया बैठक की कार्यवाही प्रस्तुत करनी होगी। साथ ही समूह के दो सदस्यों की डिजिटल साक्षरता (जैसे स्मार्टफोन का उपयोग करने की क्षमता) का ज्ञान होना आवश्यक है।

20. समूहों का चयन प्राप्त प्रस्तावों के तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर किया जाएगा।
21. नगर पालिक निगम, भिलाई-चरौदा द्वारा चयन के उपरान्त संबंधित SHG से अनुबंध किया जाएगा एवं कार्यान्वयन की निगरानी की जाएगी। अनुबंध की अवधि न्यूनतम 12 माह की होगी।
22. वृक्षारोपण कार्य निर्धारित 30 कार्य दिवसों के भीतर पूरा करना होगा, और लगाए गए सभी पौधों को जीवित रखना अनिवार्य है। यदि कोई पौधे की क्षति हो जाती है, तो उसकी जगह दोगुनी ऊंचाई का नया पौधा लगाना होगा; अन्यथा, संबंधित SHG की भुगतान राशि से कटौती की जाएगी।
23. पौधों को प्रमाणित नर्सरी या सरकारी विभाग से संबंधित निकाय द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। स्थानीय और जलवायु के अनुकूल (climate-resilient) प्रजातियों को प्राथमिकता दी जाएगी, और पौधों की ऊंचाई अंततः 4-5 फीट होगी।
24. समूह द्वारा प्रस्तुत वृक्षारोपण कार्य की जियो-टैगिंग एवं वृक्षों की संधारण रिपोर्ट समय-समय पर निगम को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
25. निर्धारित समयावधि के भीतर प्राप्त प्रस्तावों पर विचार कर निर्णय लिया जाएगा एवं यह निर्णय अंतिम व बाध्यकारी होगा।
26. **तिथियों का अनुसूची :-**
 - a. रुचि की अभिव्यक्ति (E.O.I.) जारी किए जाने की तिथि: 25-07-2025
 - b. मीटिंग दिनांक : 28-07-2025 स्थल – निगम सभागार, 11:00 बजे
 - c. विस्तृत जानकारी हेतु संपर्क ईमेल: cmobhilaicharoda@gmail.com
 - d. रुचि की अभिव्यक्ति (E.O.I.) दस्तावेज कार्यालय से प्राप्त करने की अंतिम तिथि: 31-07-2025
 - e. "E.O.I." प्रस्ताव कार्यालय में जमा करने की अंतिम तिथि: 01-08-2025
 - f. प्रस्ताव खोलने की तिथि: 04-08-2025, समय पूर्वाह्न 11:30 बजे,
स्थल: सभागार कक्ष, नगर पालिक निगम, भिलाई-चरौदा, जिला – दुर्ग (छ.ग.)
26. कार्य हेतु "रुचि की अभिव्यक्ति (E.O.I.)" एवं "प्रस्ताव" निर्धारित प्रारूप में आयुक्त, नगर पालिक निगम, भिलाई-चरौदा, को दिनांक – 01-08-2025 सायं - 05:30 बजे तक बंद लिफाफे में व्यक्तिगत रूप से अथवा पंजीकृत डाक के माध्यम से प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है। लिफाफे के ऊपर स्पष्ट रूप से उल्लेख करें: "Women for Tree पहल अंतर्गत AMRUT Mitra द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव" टिप्पणी:
 - (अ) प्रस्ताव संपूर्ण-स्वरूप में प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है, जिसमें SHG की प्रोफाइल जानकारी अवश्य संलग्न करें।
 - (ब) प्रस्ताव का एक डिजिटल संस्करण (PDF) भी पेन ड्राइव/सीडी/डीवीडी में संलग्न कर प्रस्तुत करें।
27. चयनित समूह द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों का मूल्यांकन स्थल निरीक्षण, प्रस्ताव की व्यावहारिकता, अनुभव एवं दक्षता के आधार पर तकनीकी समिति द्वारा किया जाएगा। अंतिम निर्णय नगर पालिक निगम, भिलाई-चरौदा, के सक्षम अधिकारी द्वारा लिया जाएगा।
28. चयनित समूह की सूची दिनांक – 06-08-2025 को प्रातः 11:30 बजे कार्यालय नगर पालिक निगम, भिलाई-चरौदा, के सूचना पटल, एवं कार्यालय के कक्ष क्र. 13 में प्रदर्शित की जाएगी। इस सूची में चयनित समूह को ही अनुबंध हेतु आमंत्रित किया जाएगा।
29. किसी भी स्थिति में नगर पालिक निगम, भिलाई-चरौदा, को प्राप्त प्रस्तावों को अस्वीकार करने या संशोधित करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित है।
30. कार्य निष्पादन में देरी, अनुबंध उल्लंघन, या गुणवत्ता में कमी की स्थिति में नगर पालिक निगम, भिलाई-चरौदा, द्वारा अनुबंध निरस्त किया जा सकता है।
31. कार्य के संबंध में सक्षम अधिकारी द्वारा अथवा "Women for Tree" योजनान्तर्गत प्रस्तावित समूह के मध्य किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में इसका निपटारा आर्बिटर जो कि कलेक्टर जिला – दुर्ग होंगे के द्वारा किया जाएगा। आर्बिटर के द्वारा दिया गया आदेश दोनों पक्षों हेतु समान रूप से बाध्यकारी रहेगा।

32. E.O.I. में भाग लेने हेतु आवश्यक दस्तावेज:

- डिमांड ड्राफ्ट
- शपथ पत्र (प्रपत्र-01 अनुसार)
- स्व सहायता समूह के विवरण (प्रपत्र-02 अनुसार)
- स्व सहायता समूह के द्वारा अद्यतन कृत कार्यों का विवरण (प्रपत्र-03 अनुसार)
- स्व सहायता समूह के पदाधिकारियों का विवरण (प्रपत्र-04 अनुसार)
- आवेदन पत्र के साथ समूह का पंजीयन प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, बैंक खाता विवरण, समूह की हालिया बैठक की कार्यवाही विवरण प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

33. कार्य हेतु नियुक्त समूह की चयन प्रक्रिया:

- इसमें भाग लेने हेतु इच्छुक आवेदनों को गुण-दोष के आधार पर निकाली गई सूची के अनुसार चुना जाएगा।
 - भारत सरकार आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय एवं संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन इस चयन प्रक्रिया में किया जाएगा।
34. कार्य हेतु नियुक्त समूहों को कार्य आदेश निर्गत किए जाने से पहले स्थल का भौतिक परीक्षण आवश्यक होगा। समूह को लिखित सहमति देनी होगी कि वे दिये गए स्थल पर समय-सीमा में कार्य करने को तैयार हैं। यदि समूह कार्य करने से इनकार करता है, तो वैकल्पिक समूह को अवसर दिया जाएगा।
35. चयनित समूहों द्वारा पेड़ की देख-रेख और मासिक प्रतिवेदन आगामी माह के प्रथम सप्ताह में संलग्न प्रपत्र में कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई-चरौदा को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
36. कार्यदिश प्राप्त होने की तिथि : चयनित समूहों को कार्यदिश पृथक रूप से कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई-चरौदा से जारी किए जाएंगे।
37. परीक्षण/निरीक्षण उपरान्त यदि सूचना पाई गई कि समूह स्वीकृत निर्देशों के विरुद्ध कार्य कर रहा है या गुणवत्ता मानकों की अनदेखी कर रहा है, तो नगर पालिक निगम, भिलाई-चरौदा द्वारा उसका पंजीयन एवं आदेश निरस्त किया जा सकेगा।
38. यदि कार्य में समूह या संबंधित अधिकारियों द्वारा समय-समय पर आवश्यक सूचनाएं प्रस्तुत नहीं की जातीं, तो ऐसे समूहों को भविष्य में कार्य हेतु अनुपयुक्त घोषित किया जा सकता है।
39. **Women for Tree पहल** के संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी हेतु कार्यालय से अथवा cmobhilaicharoda@gmail.com पर संपर्क किया जा सकता है।
40. आवेदन की अंतिम तिथि – 01-08-2025 दोपहर 05:30 बजे तक तक है।
41. चयनित समूहों को कार्य की प्राथमिक जानकारी संचालन एवं कार्यान्वयन हेतु विभाग द्वारा समय-समय पर प्रशिक्षण आयोजित किया जावेगा।
42. Women for Tree योजना हेतु निकाय, DAY-NULM इकाई, वन विभाग, और संबंधित कार्यालयों की संयुक्त कार्यशाला आयोजित की जा सकती है।
43. चयनित समूह को समर्पित कार्य हेतु सक्रिय होना अनिवार्य है।
44. चयनित समूहों द्वारा कार्यान्वयन की गुणवत्ता और रोपण/संरक्षण की स्थिति की आधार पर भविष्य में उन्हें स्वच्छता दीर्घिका एवं मिशन सम्मान में विशेष आमंत्रण या प्रोत्साहन दिया जा सकता है।

आयुक्त
नगर पालिक निगम
भिलाई-चरौदा

// प्रस्ताव प्रस्तुतीकरण //

प्रति,

आयुक्त,
नगर पालिक निगम, भिलाई-चरौदा
जिला – दुर्ग (छ.ग.)

विषय :- रूचि की अभिव्यक्ति (E.O.I.) Amrut Mitra योजना अंतर्गत समूह चयन बाबत् प्रस्ताव।

संदर्भ :- आपके कार्यालय के रूचि की अभिव्यक्ति (E.O.I.) क्रं. 595 दिनांक – 25/07/2025

महोदय,

उपरोक्त विषयांकित कार्य हेतु संदर्भित ज्ञापन के अनुक्रम में जारी “रूचि की अभिव्यक्ति” (E.O.I.) का प्रस्ताव नगर पालिक निगम, भिलाई-चरौदा, जिला – दुर्ग (छ.ग.) क्षेत्र में “Amrut Mitra” योजनान्तर्गत समूह चयन बाबत् जारी दिशा-निर्देशों का भलीभांति अवलोकन, अध्ययन किये जाने के उपरान्त तैयार कर प्रस्तुत किया जा रहा है।

संलग्न :-

1 दस्तावेज शुल्क :-

डिमांड ड्राफ्ट क्रं. दिनांक.....

बैंक का नाम.....

राशि रूपये

2 आवेदक का पंजीयन नियमावली एवं अन्य वांछित जानकारी ।

3 समूह के प्रमुख के बैंक खाता संख्या की जानकारी पासबुक की प्रति संलग्न कर प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

भवदीय
आवेदक का नाम पद मुद्रा
एवं हस्ताक्षर

// स्व सहायता समूह का विवरण //

| | | |
|-----|--|--|
| 1 | आवेदक का नाम : | |
| 2 | परियोजना कोड : AMT-CG-BHILAI_CHARODA-5600 | |
| 3 | स्थान : | |
| 4 | वैधानिक पता | |
| 5 | दूरभाष क्रं. | |
| 6 | फैक्स/ईमेल | |
| 7 | पंजीयन का क्रमांक एवं दिनांक | |
| 8 | प्रस्तावित कार्यो हेतु संपर्क सूत्र /व्यक्ति का विवरण | |
| i | नाम | |
| ii | पदनाम | |
| iii | पता | |
| iv | दूरभाष क्रमांक | |
| v | फैक्स/ईमेल | |
| 9 | प्रस्तुत प्रस्ताव के प्रस्तुतकर्ता/हस्ताक्षरकर्ता का विवरण | |
| i | नाम | |
| ii | पदनाम | |
| iii | पता | |
| iv | दूरभाष क्रमांक | |
| v | फैक्स/ईमेल | |

भवदीय
आवेदक का नाम पद मुद्रा
एवं हस्ताक्षर

// स्व सहायता समूह के द्वारा अद्यतन कृत कार्यों का विवरण //

| क्र. | कार्य का विवरण | वर्ष | वर्तमान स्थिति | टिप्पणी |
|------|----------------|------|----------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

टीप – कृपया उपरोक्त कार्यों के संदर्भ में शासकीय/अशासकीय आदेश/पत्राचार की सत्यप्रतिलिपि संलग्न करें।

भवदीय
आवेदक का नाम पद मुद्रा
एवं हस्ताक्षर

// स्व सहायता समूह के पदाधिकारियों का विवरण //

| क्र. | नाम | पदनाम | पता एवं मोबाइल न. | टिप्पणी |
|------|-----|-------|-------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

टीप – पंजीयन उपरान्त जोड़े गये /विलोपित किये गये पदाधिकारियों का उल्लेख टिप्पणी के कॉलम में करें ।

भवदीय
आवेदक का नाम पद मुद्रा
एवं हस्ताक्षर